

07/10/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील उमरपद्म द्वारा
 वकील उमरपद्म द्वारा प्रस्तुत बयान भुवने
 जयपुर पत्रावली में प्रस्तुत 2 ल. 10 एवं
 9 फी. के जवाब व पुस्तिका नजरी नक्शा व
 वर्तमान नजरी नक्शा का आवलोकन, मन्व
 किया गया। पटवार हल्का ल्योह द्वारा प्रस्तुत
 फर्द मौजा दिनांक 15/05/2024 के अनुसार सू-
 प्रबंध नजरा खतल गार लखीर में ग्राम
 बाग में दागी व खजारा नं. 17 की पूर्ण सीमा
 पर मौड़ एल आकृति नही है, किंतु
 वर्तमान नजरी में एल आकृति है। 2 ल. 10
 द्वारा इकेवालीया जवाब पेश किया गया है।
 अतः पत्रावली में प्रस्तुत बयान, प्रस्तुत नक्शा
 दस्तावेज, तहसील गार कुलेरा द्वारा सकारात्मक
 ऑप्शन के साथ प्रस्तुत जवाब के आधार
 पर शायदा-पत्र नं. धार 132, 136 सू. राजस्व
 अधिनियम, 1956 लागू किया जा रहा है।
 ख नं. 17 बाँटे ग्राम ल्योह तहसील कुलेरा, जिला
 जयपुर शाहीग के राजस्व नजरी में तहसील
 तहसील गार कुलेरा से प्राप्त नजरी नजरी के
 आधार पर किये जाने के आदेश दिये जाते
 हुए तहसील पुस्तक में जानेंगे। किन्तु विषय
 पुस्तक से टिकित लेकर डी.पी.सी. मिल किया
 गया। पत्रावली केमल कुमार लेकर बाह
 तहसील दायील केपुनर है।

उपखण्ड अधिकारी,
 साँभर लेक